जन सहभागिता से दलितोद्धार एवं दलित चेतना (पूर्वी राजस्थान के विशेष संदर्भ में: 1920 से 1947)

Dr. Ritu Tripathi Chakravarty*

Asst. Prof., Amity Institute of Education, Amity University, Lucknow (UP) India

सारांश *- पूर्वी राजस्थान में गांधीयुग में जन-चेतना का उदय तथा जनसहभागिता का ऐतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट स्थान है। इन रियासतों में राजशाही थी। ब्रिटिश आगमन के पश्चात् ये राज्य सहायक संधियों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता के प्रत्यक्ष प्रभाव में आ गये। इस प्रकार यहां 'दोहरी दासतां' का युग प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए नीतिगत परिवर्तनों ने 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के वास्तविक मन्तव्यों को पूर्वी राजस्थान में प्रकट किया। इन मन्तव्यों के प्रकट होने पर पूर्वी राजस्थान में जनसाधारण वर्ग में, जनसंगठनों के माध्यम से व्यापक जन सैलाब का उमड़ना तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अन्तरक्षेत्रीय तथा स्थानीय मुद्दों पर जनसहमति का बनना, जन की भागीदारी तथा जन आक्रोश की अभिव्यक्ति आदि आरम्भ हुई। फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के खीलाफ सामाजिक चेतना की अनुगंज सुनाई दी। जन चेतना एवं जन सभागिता से दलितोद्धार एवं दलित चेतना का विकास हुआ।*

मुख्य शब्द *- दलित चेतना, जन सहभागिता, औपनिवेश प्रजामंडल, जागीर, राष्ट्रवाद*

दलितोद्धार कार्यक्रम एवं दलित वर्ग में चेतना का विकास

राष्ट्रवादी नेतृत्व में, दलितोद्धार कार्यक्रम 1920 से ही एक विशिष्ट स्थान रखता है। पूर्वी राजस्थान के अलवर राज्य में 26 मई 1938 की प्रजामंडल की सभा में हरिजन सुधार कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया।1 दलितों के साथ सामाजिक समागम बढ़ाने की दृष्टि से 4 अक्टूबर 1939 को राष्ट्रवादी नेतृत्व के कार्यकर्ता लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी, इन्द्रसिंह भार्गव, भोलाराम तथा सालिगराम आदि वाल्मिकी मंदिर में गये तथा वहां सभा की। इस सभा में लक्ष्मणस्वरूप ने हरिजनों को अपना संगठन बनाने की सलाह दी। 'हरिजन संगठना' को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये उन्होने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक हरिजन परिवार विवाह तथा मृत्यु- भोज के अवसर पर 5 रूपये इस संगठन को दान दे।2 इन्द्रसिंह भार्गव के प्रयासों से चमारों ,खटीकों तथा हरिजनों के लिये श्लोलालपुरा मौहल्ले मे, एक पाठशाला खोली गयी। 3 पाठशालाओं के

जरिये दलितों को शिक्षित एवं जागृत करने के प्रयास प्रत्यक्षतः छोटे थे किंतु सामाजिक प्रभाव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे।10 अक्टूबर 1943 को अलवर राज्य में 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना हुई। 1946 में अलवर राज्य के खेड़ामंगलसिंह के जागीर-माफी इलाके में जब प्रजामंडल का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था तो राजगढ़ में हरिजनों ने हड़ताल कर अपना समर्थन प्रजामंडल के नेतृत्व में व्यक्त किया।3 इसी राज्य में 2 फरवरी 1946 को एक जनसभा में प्रजामंडल में निष्ठा व्यक्त करते हुए, हरिजनों ने प्रजामंडल को आर्थिक सहायता के बतौर 31 रूपये की थैली भेंट की।4 इसी प्राकर नारायण दत्त पंजाबी ने अलवर हरिजन सेवक संघ द्वारा सम्पादित कार्यो में खुलकर मदद की । हरिजनों को उनके हक एवं अधिकार दिलवाने की दृष्टि से भी प्रजामंडल की विशेष भूकिा रही। उदाहरण के लिये अलवर राज्य में तिजारा निजामत में भूमि-मालिक जटिया-हरिजनों का बहुत शोषण करते थे। दिनभर की मजदूरी के रूप में निजामत के बिस्वेदार हरिजन औरतों को 3 आने तथा पुरूषों को 4 आने दिया करते थे। खेतों में दिनभर की कड़ी मेहनत के पश्चात् केवल 6 आने मजदूरी तिजारा में दी जाति थी। इन हिरजनों को 12 आने में भू-मालिकों को जूतियां बनाकर देनी पड़ती थी विरोध करने पर बिस्वेदारों ने जटिया-हरिजनों को गांव से बेदखल कर दिया । इन बेदखल जटिया हरिजनों को पुनः गांव में स्थापित करने में अलवर राज्य के सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता कृपादयाल माथुर की अहम भूमिका रही।5

हरिजन आंदोलन

भरतपुर राज्य में राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतुत्व में चल रहे रचनात्मक कार्यक्रमों के तहत् दलितोद्धार कार्यक्रम ने हरिजनों को भी अपनी सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग किया। इसका उदाहरण भरतपुर राज्य में हरिजनों के द्वारा संगठित होकर अपनी मांगे रखने की चेतना के रूप में मुखरित होता दिखाई देता है। 28 अप्रैल 1940 में हरिजनों ने एक मांगपत्र सरकार के सामने रखा तथा 20 मई 1940 तथा मांगपत्र में हरिजनों की तकलीफें व मांगे निम्न थी।

(क) नगर परिषद द्वारा हरिजनों को दी जाने वाली अपर्याप्त तनख्वाह को बढाया जाय।

(ख) निजी तौर पर हरिजनों से काम कराये जाने वाली मजदूरी में वृद्धि की जायें

(ग) हरिजनों के बच्चों को 'शैक्षणिक सुविधायें दी जाये।

(घ) सवर्णो की तरह हरिजनों को भी सार्वजनिक वाहनों में बैठने की सुविधा तथा अधिकार मिले।6

(च) हरिजनों को सार्वजनिक कुंओं के प्रयोग का अधिकार मिले।

राज्य सरकार ने उपरोक्त मांग पत्र पर ध्यान देने के स्थान पर इस बात पर ध्यान केन्द्रित कराना उचित समझा कि इन मांगों के माध्यम से हरिजनों को संगठित एवं जागृत करने वाला कौन है? प्रशासन ने अपनी इस खोज में दो व्यक्तियों को विशेष रूप से इस संगठित हरिजन चेतना के लिय उत्तरदायी माना। प्रथम, पठारनाथ नामक हरिजन सन्यासी जों लालपुरा, कोटा से आया था जिसने कुछ हरिजनों की ओर से हिन्दी में याचिका भी लिखी थी जो अंततः प्रशासन को सौंपी गयी। 9 दूसरा व्यक्ति वामन भट्ट था, जो कि हरिजन सेवक संघ का सदस्य था। 10 लेकिन प्रशासन के असंवेदनशील रूख के कारण,इस मांगपत्र पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1941 में हरिजनों ने सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग की राज्य द्वारा अनुमति मांगी। भरतपुर महाराज ने इसकी अनुमति प्रदान की किन्तु अस्पृश्यता के भय से इक्के, तांगेवाले इसके लिये राजी नहीं हुए कि हरिजन उनके इक्के-तांगे में बैठे। इस पर नगर परिषद ने विवाद सुलझाते हुए निम्न प्रस्ताव रखे। प्रथम, हरिजनों को सार्वजनिक वाहनों के उपयोग में लेने के लिये नगर परिषद सचिव को अग्रिम प्रार्थना-पत्र देना होगा। द्वितीय हरिजनों में लिये जा रहे तन्गों का पूरा किराया हरिजनों को देना होगा क्योंकि सवर्ग उसमें साथ नहीं बैठेगें।

तृतीय,हरिजनों को ले जाने के लिये तन्गों की नियुक्ति नगर परिषद द्वारा बारी-बारी से होगी। चतुर्थ, यदि नगर परिषद की इन आज्ञाओं को नहीं माना गया तो उन तांगों के लाइसेंस जब्त कर लिये जायेगे। नगर परिषद के इस निर्णय के बाद कुम्हरे में एक शादी समारोह में जाने के लिये हरिजनों के, नगर परिषद को दो तांगों की नियुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र दिया। नगर परिषद ने दो तांगेवालों को नियुक्त किया। तांगेवालों के स्पष्ट मना करने पर उनके लाइेसेंस जब्त कर लिये गये। अपने पक्ष में एक हजार सवर्णों के हस्ताक्षर करवा कर तांगे वालों ने भरतपुर दीवान से नगर परिषद निर्णय पर नाराजगी जाहिर की। महाराजा ने नगर परिषद निर्णय पर समर्थन व्यक्त किया। 11 सामाजिक दृष्टि से हरिजनों की मंाग के औचित्य को प्रशासनिक समर्थन मिलना, तत्कालीन परिस्थितियों में काफी बड़ी बात थी। अपनी इस सफलता से प्रेरित होकर, 4 अप्रैल 1941 को हरिजनों ने घरों में काम करने के एवज में कम से कम 2 आना प्रति महीना व एक चपाती प्रतिदिन देने की मांग की। दलितों की यह छोटी सी मांग यद्यपि नहीं मानी गयी किंतु हरिजनों के समाज में आत्मविश्वास के साथ खड़े होने, संगठित होकर अपने समामाजिक-नागरिक अधिकारों की बात करने तथा अपनी शैक्षणिक व

आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये एकजुट प्रयास करना, निसंदेह पूर्वी राजस्थान में सामाजिक जन-चेतना की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे।

हरिजन बेगार विरोधी आंदोलन

भरतपुर राज्य में महालपुर, पहाड़पुर, राजपुरा तथा सिंरोद आदि के जाटवों द्वारा एक मजहरनामा राजा तक पहुंचाने की प्रार्थना के साथ, भरतपुर प्रजापरिषद को सौंपा गया। इस मजहरनामें में, पूर्ववर्ती महाराजा किशन सिंह द्वारा बेगार समाप्ति के कानून के बावजूद राज्य में बेगार का प्रचलन होने पर दुःख प्रकट किया गया। उक्त मजहरनामें में बेगार के माध्यम से इन पर राज्याधिकारियों द्वारा होने वाले अत्याचारों का भी मार्मिक भाषा में जिक्र था। प्रजा परिषद् ने बेगार को कानूनी वैधता प्रदान करने के खिलाफ अपना तीव्र विरोध प्रकट किया। 12 जाटवों द्वारा मजहरनामा प्रस्तुत करने के बाद 1947 में भरतपुर प्रजा परिषद् ने बेगार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया। इस बेगार विरोध आंदोलन में राज्य में लाल झंडा किसान सभा (साम्यवादी पार्टी द्वारा समर्थित संगठन) तथा मुस्लिम कान्फ्रेंस ने भी प्रजापरिषद का साथ देने का निश्चय किया। 13 प्रत्येक वर्ष भरतपुर महाराजा द्वारा वायसराय तथा अन्य रियासतों के राजाओं को बतखों के शिकार के लिये आमंत्रित किया जाता था। इस शिकार के लिये हर वर्ष करीब 500-600 जाटव हरिजनों को राज्य के विभिन्न भागों से जबरदस्ती लाकर बेगार के लिये बाध्य किया जाता था 14 अपनी रोज की कमाई को छोड़कर इन जाटवों को **5-6** फीट गहरे ठंडे पानी में जाकर डंडों से पीटकर पानी को हिलाना होता था जिससे बतखें पानी में अपनी छिपे स्थानों से ऊपर निकलकर उड़े तथा राजा-महाराजा तथा वायसराय उनका शिकार करें। बंदूके की गोली से गिराये जाने पर शिकार को इक्ठ्ठा करने का भी काम जाटनों को ही था। इस कठिन कार्य के बदल उन्हें आने-जाने का किराया मिलाकर 1 रूपया रोज मिलता था। इस 1 रूपये में से भी उन्हें केवल 14 आने का भुगतान किया जाता था। 15 इसके खिलाफ धरने में मुंशी आले मुहम्मद, सैयद अली अजहर, सांवलप्रसाद चतुर्वेदी तथा राजबहादुर आदि मुख्य थे। 15 जनवरी 1947 को फोर्टगेट पर धरने पर बैठे सत्याग्राहियों पर लाठीचार्ज हुआ जिसमें बहुत से लोग घायल हुए। इन घायलों में तीन महिलायें भी थी। 16 इस सत्याग्रह में 5 फरवरी को रमेश स्वामी की दर्दनाक मौत ने सारे भरतपुर राज्य को हिला दिया। उनके दाह संस्कार में करीब 8000 लोग एकत्रित हुए। 17 बेगार विरोध आंदोलन ने भरतपुर राज्य में सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि से अभूतपूर्व जन-चेतना पैदा की।

उपसंहार

अतः जन सहभागिता से पूर्वी राजस्थान में दलितोद्धार का कार्य आरम्भ हुआ और दलित शोषण रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये गये। इन आंदोलनों के फलस्वरूप राज्यों में दलित चेतना का प्रचार-प्रसार हुआ, जिसने कालान्तर में दलितोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक रूपांतरण एवं सामाजिक बदलाव में जन सहभागिता के इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव दृष्टि गोचर हुआ। इस प्रकार पूर्वी राजस्थान की सामाजिक संरचना, सामाजिक परम्पराएँ व ब्रिटिश चुनौती के प्रत्युत्तर में जनसहभागिता से दलितोद्धार व दलित चेतन का उदय महत्वपूर्ण घटना रही।

संदर्भ

फा.नं. 8 एस-121 पृ. 179 रा.रा. अभि अलवर।

फा.नं. 1621 सी/39 पृ. 212-213 रा.रा.अभि अलवर।

फा. नं. 236 सी/177 /39 पृ. 41 रा.रा.अभि अलवर।

हिन्दूस्तान, 12 दिसम्बर 1943, रा.रा. अभि. अलवर।

अलवर पत्रिका, दिनांक 20 अप्रैल 1946, रा.रा.अभि अलवर।

अलवर पत्रिका, दिनांक 16 फरवरी 1946, रा.रा.अभि अलवर।

शर्मा देवदत्तः आजादी के लिये जोलडे, भाग-1, पृ. 14

भरतपुर स्टेट कान्फीडेन्शियल, आई.एन. सी. मूवमेंट फा.नं. 9 पत्र मई 13, 1940 रा. रा. अभि बीकानेर।

भरतपुर स्टेट कान्फीडेन्शियल, सी.आई.एन./63 एस.सी की माउण्ट आबू से 23 वीं साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक 8 जून 1940, रा.रा.अभि. बीकानेर।

वही फाइल सी.आई.एन./95, 46वीं साप्ताहिक रिपोर्ट 25 अक्टूबर 1940, पृ. 95, रा. रा. अभि. बीकानेर।

फा.नं 9 आई.एन.सी. मूवमेंट, भरतपुर स्टेट कानफीडेन्शियल, एस.सी. की 17 वी. साप्ताहिक रिपोर्ट, दिनांक 15 फरवरी 1941, पृ. 118-119 रा.रा.अभि बीकानेर।

मिश्रा, एस.सी. पूर्वोक्त पुस्तक, पृ. 209

वहीं, पृ. 218

फा.नं. 15, पार्ट 71, ऑल इण्डिया स्टेट्स पीपुलस कान्फ्रेस पेपर्स, गोपीलाल यादव की हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट, नेहरू मेमोरियल, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली।

वही फाइल, जगन्नाथ कक्कड़ की वक्तव्य (सेकेट्ररी भरतपुर तहसील किसान सभा) हिन्दुस्तान आइम्स के कार्यकाल संवाददाता की रिपोर्ट, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली।

मिश्रा, एस.सी.: वही पुस्तक, पृ. 219

वही पुस्तक, पृ. 222